संख्या-3/2018/1140/63-व0उ0-2018-26(एच)/2017

प्रेषक,

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊ : दिनांकः 8 जून, 2018**

विषय :- सन्त कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-74/ह0क0/विकास/2018-19 दिनांक 19.04.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्त कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना की गाइड लाइन्स एतद्द्वारा निम्नवत प्रख्यापित की जाती है :-

1.योजना का उद्देश्य - हथकरघा बुनकरों में प्रतिस्पर्धा पैदा कर उन्हे उच्च किस्म के हथकरघा वस्त्र बनाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। हथकरघा बुनकरो को प्रोत्साहित करने एवं बुनकरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने, उनकी उत्पादकता बढ़ाने एवं गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। वर्तमान में बढती हुयी प्रतिस्पर्धा एवं तकनीकी विकास के अनुसार कपडो के विविधीकरण एवं बदलाव के परिदृष्य को ध्यान में रखते हुए हथकरघा उद्योग में कार्यरत बुनकरों को सहायता, समर्थन, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार प्रदान करने हेतु यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

2.योजना का कार्यक्षेत्र- यह योजना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू की जायेगी।

3. आवेदन पत्र एवं सैम्पल प्रस्तुत करने की पात्रता 1. व्यक्तिगत बुनकर 2. समिति का बुनकर 3. मास्टर बुनकर एवं व्यक्तिगत बुनकर संयुक्त रूप से 4. डिजाइनर एवं बुनकर संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत सैम्पल आवेदनकर्ता द्वारा ही स्वयं का हथकरघा पर बुना हुआ होना चाहिए।

4. योजना की रूपरेखा एवं लाभार्थियों को देय धनराशि सर्वप्रथम परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों के साथ शिविर लगाकर पहले इस योजना का प्रचार-प्रसार पम्पलेट एवं पोस्टर वितरित कर करेंगे तदुपरान्त एक निश्चित अवधि के अन्दर सैम्पल जमा कराने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन एवं प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रचार-प्रसार करेंगे। परिक्षेत्रीय अधिकारी चयन से पूर्व स्क्रीनिंग करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेगें कि प्राप्त सैम्पल हथकरघा पर ही उत्पादित है। उसके उपरान्त परिक्षेत्रीय चयन समिति के समक्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रस्तुत करेंगे। परिक्षेत्र स्तरीय हथकरघा पुरस्कार चयन समिति की बैठक कराकर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार का चयन कराया जायेगा । उसके उपरान्त परिक्षेत्र स्तरीय चयन समिति की कार्यवृत्त एवं सम्पूर्ण विवरण के साथ पुरस्कृत सैम्पल राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निदेशालय भेजा जायेगा।

परिक्षेत्र स्तरीय हथकरघा पुरस्कार की देय धनराशि :-

परिक्षेत्रीय स्तर पर चयनित बुनकरों को पुरस्कृत करने हेतु नकद धनराशि के लिये निम्नानुसार बजट की आवश्यकता होगी :-

पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार की धनराशि	परिक्षेत्रो में चयनित किये गये बुनकरो की संख्या	परिक्षेत्र स्तरीय पुरस्कार की कुल धनराशि
प्रथम	रू0 20,000/-	बुनकर सं0-13	रू0 2,60,000/-
द्वितीय	रू0 15,000/-	बुनकर सं0-13	रू0 1,95,000/-
तृतीय	रू. 10,000/-	बुनकर सं0-13	रू0 1,30,000/-
कुल योग-		बुनकर सं0-39	रू0 5,85,000/-

परिक्षेत्र स्तर पर चयनित बुनकरो को पुरस्कार की नकद धनराशि के साथ शील्ड , अंगवस्त्रम् तथा प्रमाण-पत्र प्रदान कर बुनकरो को सम्मानित किया जायेगा।

राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार

राज्य स्तरीय पुरस्कार चार श्रेणियों में दिया जायेगा । राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु निदेशालय को प्राप्त सैम्पुल को चार श्रेणी में रखा जायेगा।

श्रेणी-1- साडी, ब्रोकेड, ड्रेस मेटीरियल

श्रेणी-2- सूती दरी, ऊलेन दरी, आसनी एवं दरेट

श्रेणी-3- वेडशीट, वेड कवर, होम फर्नीशिंग

श्रेणी-4- स्टोल, स्कार्फ, गमछा व अन्य

राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार में चयनित बुनकरों को सम्मानित करने हेतु नकद धनराशि की व्यवस्था निम्नानुसार होगी :-

पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कृत धनराशि	चयनित किये गये बुनकरों की संख्या	पुरस्कृत कुल धनराशि
प्रथम	रू0 1,00,000/-	बुनकर संख्या-04	रू0 4,00,000/-
द्वितीय	रू0 50,000/-	बुनकर संख्या-04	रू0 2,00,000/-
तृतीय	रू. 25,000/-	बुनकर संख्या-04	रू0 1,00,000/-
कुल योग-		बुनकर संख्या-12	रू0 7,00,000/-

राज्य स्तरीय पुरस्कार की नकद धनराशि के साथ शील्ड, अंगवस्त्रम् तथा प्रमाण-पत्र प्रदान कर बुनकरो को सम्मानित किया जायेगा।

1-परिक्षेत्रीय/राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित बुनकरों की संख्या= 39+12= 51

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2-परिक्षेत्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार की कुल धनराशि =रू0 5,85,000.00+7,00,000.00=12,85,000.00

5.योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया-	परिक्षेत्रीय अधिकारियों से स्क्रीनिंग के उपरान्त परिक्षेत्र स्तर की कमेटी द्वारा चयन कर संस्तुत किए गये आवेदन पत्रों को राज्य स्तरीय पुरस्कार चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। राज्य स्तर के पुरस्कार चयन में सम्मिलित करने हेतु बुनकर/डिजाइनर/मास्टर वीवर्स अपने सैम्पल सीधे निदेशालय को भेज सकते है। डिजाइनर व बुनकर दोनो संयुक्त रूप से अपने सैम्पल निदेशालय भेज सकते हैं । संयुक्त रूप मे भेजे गये सैम्पुल के चयनित होने की दशा में पुरस्कार की नकद राशि दोनो में आधी-आधी देय होगी। आवेदन पत्र विभागीय (etanabanaup.in) पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा।
6.पुरस्कार चयन का मानक-	परिक्षेत्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार चयन के समय निम्न बिन्दुओं पर विशेष बल दिया जायेगा। बुनकरों की प्रारम्भिक पृष्ठ भूमि तथा हथकरघा के क्षेत्र में विशेष योगदान जैसे-डिजाइन, वीविंगटेक्निक, रंगों का संयोजन एवं उपयोग तथा प्रोसेसिंग आदि। डिजाइन तथा उत्पादन विकास (विशेष रूप से निर्यात के योग्य वस्त्र)। हथकरघा उत्पाद में विविधीकरण तथा हथकरघा उद्योग के विकास के क्षेत्र में किए गये कार्यों का विवरण। न्यूज पेपर/अन्य किसी माध्यम के द्वारा बुनकर का प्रचार-प्रसार एवं प्रगति विवरण।
7. परिक्षेत्र स्तरीय हथकरघा पुरस्कार चयन समिति-	**अ-संरचना-** परिक्षेत्रीय हथकरघा पुरस्कार चयन समिति की संरचना निम्नवत् होगी :-

1-सम्बन्धित परिक्षेत्रीय मुख्यालय जनपद के जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-संयुक्त निदेशक उद्योग	सदस्य
3-सम्बन्धित परिक्षेत्रीय जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित दो बुनकर प्रतिनिधि	सदस्य
4-क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपिका	सदस्य
5-प्रोजेक्ट आफीसर/आर0एम0एम0, उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम	सदस्य
6-प्रभारी अधिकारी बुनकर सेवा केन्द्र(समीपस्थ)	सदस्य
7-परिक्षेत्रीय सह आयुक्त हथकरघा	संयोजक/सदस्य

ब-कार्य एवं दायित्व- पुरस्कार हेतु सम्बन्धित बुनकरों के उत्पादों का चयन परिक्षेत्रीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा। पुरस्कार हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र एवं सैम्पल का निरीक्षण व परीक्षण कर चयन समिति द्वारा परिक्षेत्र स्तर के प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार का चयन किया जायेगा। सहायक आयुक्त हथकरघा परिक्षेत्र स्तर पर चयनित सैम्पुल एवं कार्यवृत्त, जिस पर चयन समिति की सहमति एवं संस्तुति हो, को राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु (राज्य स्तरीय पुरस्कार चयन की कार्यवाही हेतु) निदेशालय प्रेषित किया जायेगा।

8.राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार

अ-संरचना- राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होगें :-

1-प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोघोग	अध्यक्ष
2-आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,उ0प्र0	उपाध्यक्ष
3-मा0 मंत्री जी द्वारा नामित 02 बुनकर सदस्य	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

चयन समिति-	4-प्रबन्ध निदेशक, यूपिका, सर्वोदयनगर, कानपुर	सदस्य
	5-प्रबन्ध निदेशक, हथकरघा निगम , कानपुर	सदस्य
	6-राजकीय केन्द्रीय टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट, कानपुर	सदस्य
	7-निदेशक इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ हैण्डलूम टेक्नालाजी वाराणसी	सदस्य
	8-प्रभारी अधिकारी बुनकर सेवा केन्द्र वाराणसी/मेरठ	सदस्य
	9-योजनाधिकारी, हथकरघा निदेशालय	संयोजक/सदस्य

ब-कार्य एवं दायित्व- परिक्षेत्रीय चयन समिति द्वारा चयनित बुनकरों के सैम्पुलों को राज्य स्तर पर 04 श्रेणियों में चयन किए जाने का दायित्व होगा । इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु निदेशालय को सीधे उपलब्ध कराये गये सैम्पुल को भी विभिन्न श्रेणी के पुरस्कार हेतु चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। दोनो तरीके से प्राप्त आवेदन पत्र एवं सैम्पुल को निम्नलिखित चार श्रेणियों में रखा जायेगा :-

श्रेणी-1-साड़ी,ब्रोकेड, ड्रेस मैटेरियल।

श्रेणी-2 सूती दरी, ऊलेन दरी एवं दरेट, आसनी।

श्रेणी-3 बेडशीट, बेडकवर, होम फर्निशिंग।

श्रेणी-4 स्टोल, स्कार्फ, गमछा व अन्य।

राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा उपरोक्त चारो श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार अर्थात 12 सैम्पुलों का चयन राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु किया जायेगा ।(चारो श्रेणियो के लिये अलग-अलग राज्य स्तरीय पुरस्कार का चयन किया जायेगा।)

9. क्रियान्वयन की व्यवस्था- परिक्षेत्रीय अधिकारियों से स्क्रीनिंग के उपरान्त परिक्षेत्र स्तर की कमेटी द्वारा चयनित एवं संस्तुत किए गये आवेदन पत्रों को राज्य पुरस्कार चयन कमेटी के समक्ष रखा जायेगा। राज्य स्तर में चयन करने हेतु सीधे बुनकर/ डिजाइनर/मास्टर वीवर्स अपने सैम्पल निदेशालय को भेज सकते हैं। आवेदन पत्र etanabanaup.in पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा।

10.योजना का प्रचार - प्रसार योजना का प्रचार-प्रसार ख्याति प्राप्त समाचार पत्रों के माध्यम से किया जायेगा। योजना के प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेट, पोस्टर आदि जिसमें सैम्पल जमा करने की समय-सारिणी एवं आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि अंकित होगी को बुनकरो के मध्य वितिरत कराया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष धनराशि रू0 2.00 लाख की आवश्यकता होगी।

11.पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन राज्य स्तरीय पुरस्कार चयन समिति के स्तर पर चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद परिक्षेत्र स्तर एवं राज्य स्तर के पुरस्कार विजेताओं के लिए प्रमुख सचिव हथकरघा , उत्तर प्रदेश शासन एवं आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा के संयुक्त हस्ताक्षर से अलग-अलग प्रमाण पत्र निर्गत कराया जायेगा। शासन स्तर से उपयुक्त तिथि निर्धारित कराकर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन कराकर परिक्षेत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	स्तर एवं राज्य स्तर के पुरस्कार विजेताओं को एक साथ प्रमाण-पत्र, शील्ड, अंगवस्त्रम् एवं नकद धनराशि प्रदान कर पुरस्कृत किया जायेगा।	
12.योजनान्तर्गत बजट व्यवस्था	1-परिक्षेत्र स्तरीय पुरस्कार की नगद धनराशि -	रू0 5,85,000.00
	2-राज्य स्तरीय पुरस्कार की नगद धनराशि-	रू0 7,00,000.00
	3-योजना के प्रचार-प्रसार हेतु धनराशि	रू0 2,00,000.00
	4-परिक्षेत्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार चयन समिति द्वारा चयनित बुनकरों को शील्ड, अंगवस्त्रम, प्रमाण-पत्र एवं आयोजन पर व्यय	रू0 5,00,000.00
	कुल योग -	रू0 19,85,000.00
13.उपयोगिता प्रमाण -पत्र प्रेषण :-	पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन कराकर योजनान्र्तगत शासन से स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप 42.1 पर शासन को प्रेषित किया जायेगा ।	

(मुकुल सिंहल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-3/2018/1140(1)/63-व0उ0-2018, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को गोपन अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-4/2/21/2018-सी0एक्स0(1) दिनांक 06 जून 2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुखलाल भारती)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है्इ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।